भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2546

(04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वित्तीय बाधाएं

2546. श्री एम. के. राघवन:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केरल जैसे उन राज्यों में स्थानीय स्वशासनों (एलएसजी) के सामने आने वाली गंभीर वित्तीय कठिनाइयों से अवगत है, जहाँ स्थानीय निकायों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई -जी) के तहत प्रति लाभार्थी कुल 4 लाख रुपये की सहायता में से 2.80 लाख रुपये का एक बड़ा हिस्सा अपनी ओर से देना पड़ता है, क्योंकि मानक केंद्रीय-राज्य घटक 1.20 लाख रुपये तक ही सीमित है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय को ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि आवास योजनाओं के लिए स्थानीय विकास निधि के उपयोग पर वर्तमान 20 प्रतिशत की सीमा स्थानीय स्वशासनों (एलएसजी) को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए अपने आवश्यक हिस्से के आवंटन से अतिवंचित करती है, जिससे ग्रामीण लाभार्थियों को मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायता में देरी होती है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले पूरक व्यय पर मौजूदा विकास निधि उपयोग की सीमाओं से छूट देने या उनमें ढील देने की कोई योजना है, ताकि अन्य आवश्यक स्थानीय अवसंरचना परियोजनाएं प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हों और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) से (ग): पीएमएवाई-जी के तहत वित्तीय सहायता, मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पहाड़ी राज्यों जम्मू और कश्मीर तथा

लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये की दर से यूनिट सहायता प्रदान की जाती है। यूनिट सहायता लागत, मैदानी क्षेत्रों में 60:40 के अनुपात में और पूर्वोत्तर राज्यों, 2 पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) तथा जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए 90:10 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जा रही है। सरकार ने 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण के लिए मौजूदा यूनिट सहायता के साथ वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है।

तथापि, यह उल्लेखनीय है कि योजना के तहत प्रदान की गई यूनिट सहायता के अलावा, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिए ₹ 12,000 की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, प्रत्येक पीएमएवाई-जी लाभार्थी को मनरेगा/वीबी जी-राम जी के साथ अभिसरण के माध्यम से अपने आवास के निर्माण के लिए प्रचलित मजदूरी दरों पर अनुमोदित योजना मापदंडों के भीतर निर्धारित श्रम-दिवसों का अकुशल मजदूरी रोजगार प्रदान करने का भी प्रावधान है।

पीएमएवाई-जी परिवारों को जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के जल जीवन मिशन (जेजेएम) और हर घर नल से जल (एचजीएनएसजे) या अन्य समान योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से पाइप के माध्यम से पेयजल भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, लाभार्थियों को विद्युत मंत्रालय, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित प्रासंगिक योजनाओं के माध्यम से बिजली कनेक्शन के साथ सहायता प्रदान की जाती है, और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) या अन्य प्रासंगिक योजनाओं के तहत तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं।

चूंकि, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इसलिए पीएमएवाई-जी का जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास है। केंद्र सरकार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को एक इकाई के रूप में मानते हुए सीधे वित्तीय सहायता जारी करती है। राज्यों के पास पीएमएवाई-जी बजट में अपनी टॉप-अप निधि जोड़ने का अधिकार है। इसके बाद राज्य सरकार जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों को निधियां वितरित करने और इन इकाइयों द्वारा निधियों के उपयोग की उच्चतम सीमा,यदि कोई हो, तय करने के लिए जिम्मेदार है। आवास योजनाओं के लिए स्थानीय विकास निधि के उपयोग संबंधित उच्चतम सीमा के संबंध में मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।